न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,धनबाद।

(छोटानागपुर काश्तकारीअधिनियम की धारा 46 के तहत अनुमति)

एम0 आर0 केश नं0– 117/2022–23

–:आदेश:–

17/01/23

अभिलेख आज उपस्थापित। आवेदक के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, तोपचॉची से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, तोपचॉची के पत्रांक– 732, दिनांक– 26.12. 2022 द्वारा जॉंच प्रतिवेदन प्राप्त है। जॉंच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक शम्भु नाथ रजक, पिता– स्व0 गोविन्द रजक, साकिम– मदैयडीह, थाना– तोपचॉची, जिला– धनबाद अपनी जमीन मौजा– मदैयडीह, मौजा नं0– 45, खाता नं0– 52, प्लॉट नं0– 2231, रकवा– 21 डिसमील भूमि क्रेता सुबास चंद्र रजक, पिता– स्व0 देवेन्द्र नाथ रजक, साकिम– मदैयडीह, थाना– तोपचॉची, जिला– धनबाद को बेचने की अनुमति चाहते है। अंचल अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही जाति के धोबी है तथा क्रेता एवं विक्रेता थाना– तोपचॉची, जिला– धनबाद के निवासी है। जमीन रैयती खाते की है, बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास 2.05 एकड़ भूमि शेष बचती है। अंचल अधिकारी के द्वारा आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति देने की अनुशंसा भी की गयी है।

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आवेदक को प्रश्नगत जमीन बिक्री करने की अनुमति उपायुक्त द्वारा निर्धारित दर पर की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित,

17/01/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

17/01/23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
धनबाद।

Digitally signed by SATISH CHANDRA
Date: 2023.09.02 11:54:01 +05:30
Location: 192.168.29.168

Scanned by CamScanner